

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0– 0612–2217956
फैक्स:- 0612–2215611 / 2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 24.10.2015

- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष, एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 1,127 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया।

सुपौल जिला में ₹1,50,000/-, कटिहार जिला में ₹1,17,500/- एवं नालन्दा जिला में ₹2,00,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

- आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	1
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	2
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	2
Illegal Meeting/Speech etc.	1
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	1
- Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	7
No. of cartridges seized	5
No. of Licensed Arms deposited	714
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	2,130
No. of non-bailable warrants executed	87
Fine collected in vehicle checking	Rs. 1,52,350
- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :–

No. of prohibition cases registered	21
No. of raids conducted	44
Volume of illicit liquor seized during raids	1,002 litre
No. of persons arrested	13
Amount of fine imposed	Rs. 1,23,300

5. कल दिनांक 25.10.2015 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण के जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की जायेगी।
6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु दिनांक 12.10.2015 को सम्पन्न हुए मतदान में 161—बाँका एवं 243—चकाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 2 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान का आदेश भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्र संख्या	मतदान की तिथि	मतदान का समय
161—बाँका	131	28.10.2015	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
243—चकाई	188	28.10.2015	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक

7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदाताओं को बी०एल०ओ० के माध्यम से उनके घर पर ही मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा रही है। तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 90% मतदाताओं को मतदाता पर्ची अब तक उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है वे मतदान की तिथि दिनांक 28.10.2015 को अपने मतदान केन्द्र पर जा कर बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है तो भी ईपिक अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची स्वयं ही मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक दस्तावेज है। मतदान हेतु मतदाता पर्ची की मूल प्रति ही स्वीकार्य होगी।
